राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः– एफ.5(थ–75)कोष / IFMS / Other Bills / 5852-6251 दिनांक :– 12/7/2012

समस्त विभागाध्यक्ष

विषयः– एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत समस्त बिलों के ऑन लाईन भुगतान के संबंध में।

महोदय / महोदया,

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत वर्तमान में वेतन बिलों का ऑनलाईन भुगतान सफलतापूर्वक किया जा रहा है। राज्य सरकार समस्त राजकीय भुगतानों में ई–भुगतान व्यवस्था को प्राथमिकता से लागू किए जाने हेतु प्रतिबद्ध है। एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली को प्रारम्भ किए जाने का उद्देश्य भी यह है कि भविष्य में विभागों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के राजकीय भुगतान नकद अथवा चैक के माध्यम से नहीं होकर इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रांसफर के रूप में किए जाए ताकि राशि सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में कोषालयों के माध्यम से जमा हो सके।

इसी क्रम में दिनांक 16.08.2012 से वेतन बिलों के अलावा अन्य सभी प्रकार के बिल यथा, चिकित्सा, यात्रा, एफ.वी.सी. आदि का भुगतान भी ऑनलाईन ही किया जाना प्रस्तावित है। वेतन बिलों के ऑनलाईन भुगतान के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार ही अन्य समस्त बिल ऑनलाइन भुगतान हेतु कोषालय / उपकोषालय में प्रस्तुत किए जाने है। इस संबंध में निम्न बिन्दुओं की पालना किया आवश्यक हैः–

1. संबंधित कोषालय / उपकोषालय में अन्य समस्त बिल भी ऑनलाइन भुगतान हेतु पे–मैनेजर के माध्यम से ठीक इसी प्रकार से प्रस्तुत किए जायेगें जैसे वर्तमान में वेतन बिल प्रस्तुत किए जा रहे है।
2. वेतन बिल ऑनलाइन कोषालय / उपकोषालय में प्रस्तुत करने हेतु कम्प्यूटर सेवा प्रदाताओं (CSP) एवं कम्प्यूटर सेवा केन्द्रो (CSP) की सेवाएं प्राप्त करने हेतु समय–समय पर जारी किए गये आदेश इन बिलों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए भी मान्य होगें।

3. एफ.वी.सी. तथा अन्य बिलों के ऑनलाइन भुगतान हेतु यह आवश्यक है कि संबंधित भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बैंक खातें का पूर्ण विवरण (बैंक का नाम, खाता संख्या आदि) आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सही–सही अंकित किया जावें।

4. राज्य कर्मचारियों के अलावा जिन व्यक्तियों/फर्मो को बार–बार भुगतान किया जाना होता है उनका मास्टर डेटा पे–मैनेजर साइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इस हेतु उक्त साइट पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यदि विभाग का इससे संबंधित डेटा अधिक है तो एक्सल शीट पर सूचना एन.आई.सी. केन्द्र वित्त भवन पर देने पर इन्द्राज करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः आपके अधीनस्थ समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें। इस संबंध में किसी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित कोषालय/उपकोषालय अथवा आई.एफ.एम.एस. हेल्प डेस्क पर दूरभाष संख्या 0141–2740637, 0141–2744397 एवं 0141–5111429 पर संपर्क किया जा सकता है।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांकः– एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/Other Bills/5852-6251 दिनांक :– 12/7/2012

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
4. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
6. राज्य सूचना विज्ञान, अधिकारी एन.आई.सी. सचिवालय जयपुर।
7. समस्त कोषाधिकारियों/उपकोषाधिकारियों राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि समस्त बिल ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु आहरण वितरण अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन व सुविधा प्रदान करें।
8. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करे।

संयुक्त शासन सचिव